

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

कैम्प- बघार

04  
20/3/25

रिपोर्ट पटवारी हल्का बघार... तहसील गिर्वा.....

प्रार्थनापत्र में अंकित खाता सं०, आराजी नम्बर एवं रकबा सही है। खाते में

प्रार्थी खातेदार का नाम ... लासीया ..... पिता रुवा .....  
दर्ज है।

खाते की नकल सलग्न है। ग्राम-बघार खाला सं. 44

प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर ... लासीया ..... पिता रुवा ..... गिर्वा

की जगह ... लासू ..... पिता रुवा ..... किया जाना उचित होगा। (राजपूत)  
पटवारी

हस्ताक्षर पटवारी गिर्वा जिला-उदयपुर

उक्त खाते में खातेदार का नाम ... लासीया पिता रुवा .....  
के बजाय लासू पिता रुवा ..... अंकित करने की सिफारिश की जाती है।

तहसील गिर्वा जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा.....

आदेश अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 17/3/2008

क्रमांक : राजस्व/अभियान/2008/1211

प्रार्थनापत्र में अंकित खाते के खातेदार का नाम दुरुस्त कर लासीया.....  
पिता रुवा..... के स्थान पर श्री लासू.....

पिता रुवा..... दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार  
पिता रुवा..... दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपि :-  
1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार गिर्वा..... को पालनार्थ।  
2. प्रार्थी श्री  
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर (राज.)